

17/04/23

पत्रावली पेश हुई वकील वादी उपस्थित।
प्रकरण में वादी द्वारा तहसीलदार कालवाड,
अथपुर से प्राप्त कुर्रैआत रिपोर्ट पर सहमति
उदान की तथा No objection अंकित किया
गया तथा अन्तिम डिडी जारी करने
हेतु निवेदन किया गया। वाद में आदेशिका
दिनांक 24/05/22 में उल. 19 की तामिल
पूर्ण है होने के बावजूद उपस्थित न होने

के कारण एक पक्षीय कार्यवाही की गई है।
 तथा एति. संख्या 02 व 02 के अंतर्गत
 के कारण ~~एक~~ वादी द्वारा 022 R 4
 प्रार्थना पत्र पेश किया गया जिसे स्वीकार
 कर संशोधित अनवान पेश करने हेतु
 आदेशित किया गया था। आदेशित दिनांक
 24/05/22 में 01/01 तथा 01/02 को विरुद्ध
 एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई थी।
 तथा एति. संख्या 2 के वारिसान पूर्व से
 ही एति. सं. 8 व 14 के रूप में पत्रकार है,
 जिनके विरुद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल
 में लाई जा चुकी है। प्रकरण में किसी भी
 पत्रकार द्वारा कुर्रैजात पर आपत्ति पेश
 नहीं की गई है। अतः तहसीलदार (श.म.)
 कालवाड, अयपुर के पत्र क्रमांक LR/23/258
 दिनांक 20/01/23 के द्वारा प्राप्त कुर्रैजात
 रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण में अन्तिम
 डिक्ली जारी किया जाना न्यायवित्त में उचित
 समझते हैं। प्रकरण में तहसीलदार, कालवाड,
 अयपुर के पत्र LR/23/258 दिनांक 20/01/23
 के अनुसार अन्तिम डिक्ली जारी है।
 पत्रावली दर्ज नम्बर से कम होकर कुल
 शुमार होकर दायित्व दफ्तर है। निर्णय
 आज दिनांक 17/04/23 को खुले न्यायालय
 में सुनाया गया।

Mansy.

सहायक कलक्टर
 अयपुर शहर प्रखण